

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

विकास पथ, गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड नेट प्रेक्टिस एरिया मात्र) का नीलामी के माध्यम से अनुज्ञप्ति/किराया पद्धति के आधार पर संचालन हेतु नियम व शर्त:-

1. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम :- (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) संचालन की अवधि 03 वर्ष होगी।
2. अनुज्ञप्तिगृहिता को ₹1,00,000.00 (एक लाख) मात्र सिक्कोरिटी मनी एफ0डी0आर0 के रूप में जमा करनी होगी। जो कि उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगी। सर्वोच्च बोलीदाता की उक्त धनराशि जमानत के रूप में जमा रहेगी। यह राशि संचालन हेतु निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जायेगी। यह धनराशि सर्वोच्च बोली/ऑफर दर की राशि में समायोजित नहीं होगी।
3. बोलीदाता को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व पहचान पत्र (वोटर आई0डी0 अथवा आधार कार्ड) फोटो की प्रति जमा कराना होगा।
4. यह कि इस नीलामी पर दिये गए स्थल के संचालन का वार्षिक अनुज्ञप्ति किराया प्रत्येक आगामी वर्ष आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। अनुज्ञप्ति किराया वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अदा न करने पर 14 प्रतिशत वार्षिक दर से पैनल ब्याज देय होगा। तभी नियमानुसार अनुज्ञप्ति विलेख पर पुनर्विचार किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति किराया की स्वीकृति धनराशि में 10.00 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो भी अधिक हो के आधार पर होगी।
5. यह कि अनुज्ञप्ति पर दिये गए स्थल का कब्जा अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के बाद प्रदान किया जायेगा। अनुज्ञप्ति पर दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और अनुज्ञप्तिगृहिता को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि स्थल पर कोई परिवर्तन किये जाने का प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है, तो बोलीदाता को उक्त निर्णय मान्य होगा।
6. यह कि अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही अनुज्ञप्ति विलेख का नवीनीकरण हो सकेगा। अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर अनुज्ञप्ति गृहिता को शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थलों का कब्जा प्राधिकरण को वापिस सौंपना होगा।
7. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति व उसके आस-पास की सफाई का पूर्ण दायित्व अनुज्ञप्तिगृहिता का होगा और अनुज्ञप्तिगृहिता अपने खर्चे पर आवश्यक व्यवस्था स्वयं करेगा।
8. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गये स्थलों के रख रखाव व मरम्मत/अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिगृहिता की होगी व अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और उक्त स्थलों पर ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जिससे अनुज्ञप्तिगृहिता को स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।
9. यह कि अनुज्ञप्तिकर्ता को अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण द्वारा दिये गए सुझाव अनुज्ञप्तिगृहिता को मान्य होंगे, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

10. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर, जी0एस0टी0 या अन्य देयता के अदा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिगृहिता की होगी, प्राधिकरण उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. बोली स्वीकृति के उपरान्त सर्वोच्च बोली के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी।
13. आयकर प्राविधानों के अनुसार समस्त कार्य हेतु प्राप्त उच्चतम बोली की धनराशि पर निर्धारित देय कर व प्रशासन/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लागू किये जाने की दशा में उक्त धनराशि अतिरिक्त रूप में बोली स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
14. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
15. अनुज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
17. प्राधिकरण द्वारा शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम जिस अवस्था में सर्वोच्च बोली को दिया जायेगा उसी अवस्था में अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर वापस हस्तगत करना होगा अन्यथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर अनुज्ञप्तिगृहिता के हर्जे खर्चे पर कार्य कराया जायेगा।
18. बोली की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिटर गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वाछित स्टाम्प पेपर पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध/अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित कराना होगा।
19. अनुज्ञप्तिगृहिता अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी/संस्था को हस्तान्तरित नहीं करेगा, ऐसा करने की दशा में अनुज्ञप्ति को स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा जमा समस्त धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
20. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारी किसी भी खिलाड़ी/दर्शक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।
21. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल में विद्युत कनेक्शन प्राधिकरण द्वारा लिया जायेगा, लेकिन विद्युत उपयोग के देयको की प्रतिपूर्ति का भुगतान अनुज्ञप्तिगृहिता/एजेन्सी द्वारा मासिक आधार पर वहन किया जायेगा, ऐसा नहीं करने की दशा में प्रतिपूर्ति के सापेक्ष राजस्व वसूली की भांति वसूली की जा सकेगी।
22. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल में क्रिकेट की गतिविधियों की एक्सपर्ट से ट्रेनिंग आदि दिलाई जायेगी और उसके लिए प्रशिक्षण शुल्क अनुज्ञप्तिगृहिता/आवंटी/एजेन्सी द्वारा लिया जा सकता है, जो कि निम्नवत् होगा।

क्र० सं०		दर ₹ में
1.	हॉकी ग्राउन्ड मैच शुल्क सामान्य श्रेणी प्रति मैच	5000.00
2.	हॉकी मैच नेट प्रेक्टिस प्रति माह	7000.00 प्रति तीन घंटा प्रतिदिन—एक माह में
3.	लोकल ग्रुप मैच (सीरीज) प्रति मैच	6000.00

23. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल में किसी प्रकार का खोखा/ठेला अथवा हॉकर्स की स्थापना हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी, ऐसा करने की दशा में अनुज्ञप्तिगृहिता विलेख निरस्त कर दिया जायेगा और जमा धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
24. स्थल पर विद्युत कनेक्शन तथा उस पर व्यय गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करेगा, लेकिन विद्युत उपयोग की प्रतिपूर्ति का भुगतान बोलीदाता द्वारा मासिक आधार पर वहन किया जायेगा, समय से भुगतान न करने पर अर्थदण्ड भी संचालनकर्ता को जमा करना होगा एवं विद्युत अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य भी अनुज्ञप्तिगृहिता अपने हर्जे-खर्चे पर करायेगा।
25. प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्थापित गेट/पोस्ट में यदि कोई टूट-फूट या कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्तिगृहिता अपने हर्जे-खर्चे पर करायेगा।
26. मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गए आदेशों का अनुपालन अनुज्ञप्तिगृहिता को करना होगा।
27. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।
28. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) संचालन स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते पहचान पत्र सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
29. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थलों पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं यथा बैरियर, उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन व सूचना पट आदि के रख रखाव का दायित्व अनुज्ञप्तिगृहिता/आवंटी/एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति की क्षतिपूर्ति अनुज्ञप्तिगृहिता/आवंटी/एजेन्सी को करनी होगी।
30. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल के संचालन व्यवस्था में लगाये गए सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Labour Act) का पालन एवं ई0एस0आई0 व पी0एफ0 आदि की सुविधा प्रदान करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिगृहिता का होगा। प्रशिक्षक (कोच) के लिए अपर आयु सीमा शिथिलनीय होगी।
31. अनुज्ञप्तिगृहिता/आवंटी/एजेन्सी द्वारा लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल संचालन व्यवस्था में लगाये गए कर्मी पूर्व में कभी भी किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहे हैं, इस आशय का शपथ पत्र अनुज्ञप्तिगृहिता द्वारा प्राधिकरण में जमा कराना होगा।
32. अनुज्ञप्तिगृहिता/आवंटी/एजेन्सी को प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन कर्मचारियों को शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देनी होगी। इसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
33. अनुज्ञप्तिगृहिता/आवंटी/एजेन्सी उक्त स्थल को अन्य किसी संस्था को संचालन हेतु हस्तान्तरित नहीं कर सकेगी।
34. अनुज्ञप्तिगृहिता/आवंटी/एजेन्सी को अपने नाम के साथ-साथ प्राधिकरण के प्रतीक चिन्ह (Logo) एवं नाम का डिसप्ले बोर्ड लगाना होगा।
35. अनुज्ञप्तिगृहिता/आवंटी/एजेन्सी स्थल पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगायेगी, जिससे स्वामित्व का आभास होता हो।

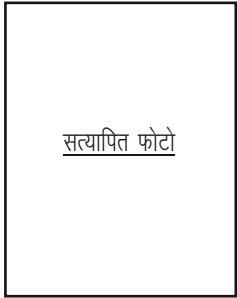
36. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) रुम की मरम्मत सुरक्षा एवं रख-रखाव तथा साफ-सफाई का दायित्व आवंटी/एजेन्सी का होगा।
37. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) तीन वर्ष के लिए आवंटी/एजेन्सी को प्राधिकरण की नियम शर्तों पर दिया जायेगा, उसके बाद पुनः दोनो पक्षों की सहमति से समय अवधि बढ़ाए जाने की दशा में पुनः अनुज्ञप्ति विलेख निष्पादित कराना होगा।
38. यह कि उपरोक्त हॉकी स्टेडियम परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित होगा।
39. प्राधिकरण को स्थल की जब भी आवश्यकता होगी, तभी सूचना के अनुसार स्थल उपलब्ध कराना होगा।
40. शास्त्रीनगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) का उपयोग क्रिकेट गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जायेगा।
41. क्रीडा स्थल पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व अनुज्ञप्तिगृहिता/संस्था का होगा।
42. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुए अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा तथा लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) स्थल संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिगृहिता को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा नहीं दिया जायेगा।
43. सम्पूर्ण परिसर की सुरक्षा हेतु अनुज्ञप्ति द्वारा कर्मियों (एक दिन में एक रात में) कुल दो गार्ड नियमित रूप से तैनात करने होंगे जिसका व्यय भार अनुज्ञप्तिगृहिता द्वारा स्वयं ग्रहण करना होगा।
44. हॉकी स्टेडियम के संचालन हेतु सक्षम इच्छुक कोच/संस्थान/एसोसियेशन एवं समूह नीलामी/निविदा में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह होंगे।
45. यह कि अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी/खिलाड़ी के साथ कोई दुर्घटना होती है, उसके लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

(तालिका विवरण)

क्र० सं०	स्थल का नाम	स्थलों की संख्या	अवधि	आरक्षित किराया दर (एक वर्ष हेतु ₹)	धरोहर राशि (₹)
1	2	3	4	5	6
1	शास्त्रीनगर योजना में लाल बहादुर हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया स्थल) 1	01	03 वर्ष	3,99,300.00	1,00,000.00

शपथ-पत्र

समक्ष:
उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद



मैं/हम
पुत्र/पुत्री/पत्नी
जन्म तिथि आयु वर्ष (लगभग)
निवासी
निम्नलिखित शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ/करते है :

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम एवं पता सब सही है।
2. यह कि मैं/हम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक.....को नीलाम किये जा रहे लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) योजना शास्त्रीनगर, गाजियाबाद की नीलामी में बोली दाता के रुप में प्रतिभाग कर रहा हूँ/रही हूँ/रहे है।
3. यह कि मैं/हम बोली सफल होने पर हॉकी स्टेडियम आंवटन के फलस्वरुप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम हूँ/हैं।
यह कि उपरोक्त शपथ पत्र की सभी धारायें मेरे निजी ज्ञान और विश्वास में सब सत्य है कोई कथन असत्य नहीं हैं।
कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँगा/हूँगी/रहेगें।

स्थान :

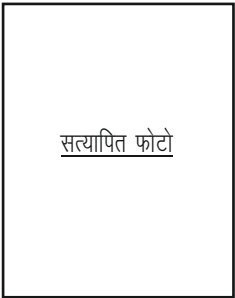
दिनांक :

हस्ताक्षर शपथकर्ता

(नोट : शपथ पत्र रु. 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित कराकर संलग्न किया जाये।)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा
प्रस्तावित नीलामी में प्रतिभाग हेतु प्राधिकार-पत्र

सेवा में,
नीलामी अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद



महोदय,
मैंने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक को नीलाम किये जा रहे लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रेक्टिस एरिया) योजना शास्त्रीनगर, गाजियाबाद की नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन किया है।

किन्ही कारणों वंश मैं उक्त नीलामी में स्वयं भाग नहीं ले पा रहा/रही हूँ। अतः उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु मैं श्री/कु./श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष (लगभग) निवासी को जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये गये है, को नीलामी में बोली देने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ। मेरे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो भी बोली दी जायेगी वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

भवदीय /भवदीया :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम:

हस्ताक्षर प्रमाणित

पता:

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

नीलामी में प्रतिभाग हेतु निविदादाता/बोलीदाता का विवरण

आवेदन पत्र संख्या :

Application Form No.

1. आवेदक का नाम:
Name of the Applicant (In block letters)

2. पिता/पति का नाम:
Father/Husband's Name:

3. उम्र :
Age:

4. पूरा पता :
Full Address:

ए. स्थायी पता :
Permanent Address

बी. पत्र-व्यवहार का पता:
Correspondence Address

सी. टेली फोन नं० : मोबाईल नं० : ई-मेल :
Telephone No./: Mobile No.: E-mail:

5. व्यवसाय :
Occupation:

लाल बहादुर शास्त्री हॉकी स्टेडियम (हॉकी ग्राउन्ड व नेट प्रैक्टिस एरिया) हेतु विवरण

1. स्थल/योजना का नाम : ए
Name of site/Scheme

2. नीलामी का विवरण :
Auction Details :

(ए) निविदादाता द्वारा क्रय करने हेतु ऑफर दर (अंकों में)
(a) offer rate for purchase by the tenderer (In figures)

(ब) नीलामी हेतु जमा धनराशि का विवरण
(b) Details of Amount Deposited for Auction

घोषणा Declaration

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इस नीलामी में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अर्न्तगत आवेदन किया है मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि प्रोफार्मापर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का अनुज्ञप्ति विलेख कराऊंगा

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the Lal Bahadur Shastri Hockey Stadium (Hockey Ground and net Practice Area) described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read and understood all the condition mentioned in the brochures of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending Purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the Licence deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as may be decided by the Authority.

दिनांक
Dated

आवेदक के हस्ताक्षर
Signature of the bidder

राजपत्रित अधिकारी / नोटरी
पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटो

Paste a passport size
photo attested by Gazetted
Officer/Public Notary